नेशनल लोक अदालत समझौतानामा/अधिनिर्णय

नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्र. 05 **दिनांक 12/11/2022**

1– पक्षकारों का नाम–

छ.ग. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र जांजगीर
जिला जांजगीर चांपा छ.ग.(प्रार्थी/आहत सौरभ सिंह)

बनाम

1. संस्कार राठौर, पिता रामविलास राठौर, उम्र 19 वर्ष
साकिन चितरपारा जांजगीर थाना जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

2. आलोक राठौर, पिता विनोद राठौर, उम्र 19 वर्ष
साकिन पुरानी बस्ती जांजगीर थाना जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

2– दांडिक प्रकरण क्र. 1562–22, अपराध क्र. 707/2022, संस्थित दिनांक 14–10–2022

3– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण– इस प्रकार है कि दिनांक 05–10–2022 को समय 21:30 बजे आरोपीगण द्वारा प्रार्थी/आहत सौरभ सिंह को अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर बेल्ट, हाथमुक्का एवं लात से मारपीट कर उपहति कारित किया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 34 भादसं. का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

4– सुलहनामा की शर्तें– उभयपक्ष ने बिना किसी जोर दबाव के राजीनामा कर लिया है तथा उनके मध्य मधुर संबंध होकर आपस में प्रेमपूर्वक रह रहे हैं। इस बाबत पक्षकारों से उपस्थिति के माध्यम से सहमति राजीनामा ली गयी है।

5– अवार्ड– उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा का आवेदन सदभाविक होने से स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप आरोपीगण को धारा 294, 506, 323, 34 भादसं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण के जमानत बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति एक चमड़ा का बेल्ट मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

सदस्य-

1- श्री एस.एल. थवाईत अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी
सही/-
(श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर)
नेशनल लोक अदालत, खंडपीठ क्र. 5
जिला - जांजगीर-चांपा (छ.ग.)